फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :– / राजेश बनाम प्रभाकर आदि

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/5/25	प्र. का उपा. बहस हेतु, अधिवक्ता डिग्री काल की अनुपस्थिति पेशी पर बहस नहीं करने पर पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण का डिग्री पत्रावली वास्ते बहस अधिवक्ता दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
	16/5/25	प्र. का उपा. बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि के प्राधिकृत पट्टेदार खातेदार काश्तकार होने से भूमि का सम्पूर्ण प्राधिकृत व सम्पूर्णीय हित का विस्थापन प्राधिकृत के पक्ष के बारूणी साबित होता है जिससे प्राधिकृत का प्रा. पत्र अस्वीकार विपक्षगण का आवेदन बगैर से स्वीकार किया जाना यथोचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकृत का प्रा. पत्र अस्वीकार विपक्षगण का आवेदन बगैर के स्वीकार किया जाकर प्राधिगण की खातेदारी प्रा. पत्र विपक्षगण के छोड़ते हुये अन्यत्र भूमि के लिये [illegible] स्वीकार की जाकर [illegible] न्यायालय अधिवक्ता प्रदेश [illegible] विपक्षगण डिग्री पूर्व [illegible] 3/10/2016 को [illegible] होता है। किया जाकर पाबन्द [illegible] होकर उप पत्रावली फोरवार्ड [illegible] उपखण्ड अधिकारी को कृत हो तथा [illegible] पाउ के सेक्शन [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner